

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *84
दिनांक 05 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

.....

बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के संबंध में सहयोग

*84. श्री जगदम्बिका पाल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों के संबंध में सहयोग के लिए सीमावर्ती राज्यों के साथ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नदी प्रणालियों की साझेदारी करने वाले पड़ोसी देशों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) या इसी प्रकार की संस्थागत व्यवस्था शुरू की गई है या शुरू किए जाने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार और नदी-घाटी-वार ब्यौरा क्या है और वर्षा, नदी के प्रवाह, बांधों से पानी छोड़े जाने और खराब मौसम के संबंध में तात्कालिक आंकड़ों के आदान-प्रदान के लिए विद्यमान तंत्र क्या है;
- (ग) क्या इन व्यवस्थाओं में नदी प्रदूषण नियंत्रण, जल की गुणवत्ता की निगरानी और जलीय और तटवर्ती पारिस्थितिकीय तंत्र के संरक्षण के संबंध में सहयोग भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) ऐसे समझौता ज्ञापनों के संबंध में वार्ता, इनके कार्यान्वयन और निगरानी में राज्य सरकारों, विशेषकर सीमावर्ती राज्यों की क्या भूमिका है; और
- (ङ) आंकड़ों के आदान-प्रदान में पारदर्शिता, पारस्परिक लेन-देन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बाढ़ के कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके, सीमा-पार से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके और नदी घाटी के सतत प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

‘बाढ़ प्रबंधन और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के संबंध में सहयोग’ के संबंध में दिनांक 05.02.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *84 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ड): भारत सरकार ने सीमावर्ती राज्यों के साथ प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह नदी प्रणालियों की साझेदारी करने वाले पड़ोसी देशों के साथ बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा नदी प्रदूषण नियंत्रण सहित अन्य पारस्परिक हित के जल संसाधन संबंधी मामलों में सहयोग हेतु द्विपक्षीय संस्थागत व्यवस्थाएं मौजूद हैं। इन व्यवस्थाओं का देश-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

बांग्लादेश:

वर्ष 1972 से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, मनु, गुमती, तीस्ता, जलधाका, तोरसा और महानंदा नदियों पर स्थित चिन्हित स्टेशनों/स्थलों के लिए बाढ़ संबंधी स्वीकृत आंकड़ों (जल स्तर, प्रवाह और वर्षा) को बांग्लादेश को उनके क्षेत्र में बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी के उद्देश्य से प्रेषित करने की व्यवस्था मौजूद है। चिन्हित स्टेशनों के बिंदु-दर-बिंदु बाढ़ आंकड़ों को ई-मेल के अलावा वायरलेस के माध्यम से भी बांग्लादेश को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2023 की बाढ़ के मौसम के दौरान, बाढ़ आंकड़ों से संबंधित सूचना को समय पर और निर्बाध रूप से बांग्लादेश को प्रेषित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के संबंधित अधिकारियों का एक व्हाट्सएप समूह भी सक्रिय किया गया। वर्ष 2025 की बाढ़ के मौसम के दौरान, बांग्लादेश जल विकास बोर्ड के बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र ने (दिनांक 06.10.2025 से) तीन नदियों (अप्पर अतराई, पुनरभवा और तांगोन, जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की ओर बहती हैं) के बाढ़ संबंधी आंकड़ों को पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष को प्रदान करना भी शुरू किया है।

बांग्लादेश के साथ साझा सीमावर्ती नदियों पर आपसी हित के अन्य जल संसाधन संबंधी मामलों जिनमें प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मामले भी शामिल हैं, पर भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग के कार्य ढांचे के तहत तकनीकी स्तर की बैठकों (टीएलएम) में विचार-विमर्श किया जाता है। सीमावर्ती राज्यों की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी द्विपक्षीय चर्चाओं में भाग लेते हैं। बांग्लादेश के अखौरा में सी एंड बी खाल और जांजी नदी के माध्यम से तीतास नदी में प्रदूषण का मामला और बांग्लादेश में स्थित चीनी मिल से निकलने वाले बहिःस्राव के कारण पश्चिम बंगाल में मथाभंगा-चूर्णी नदी में प्रदूषण के मामला टीएलएम में विचार-विमर्श के दौरान उठाया गया जिसमें त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने द्विपक्षीय विचार-विमर्श में भाग लिया।

भूटान:

भूटान की सीमावर्ती नदियों पुथिमारी, पगलाडिया, संकोश, मानस, रायडक, तोरसा, ऐ, जलधाका आदि और उनकी सहायक नदियों पर स्थित 36 केंद्रों से जल-मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करने और प्रसारित करने के लिए एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) कार्यरत है। इस आंकड़े का उपयोग भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिए किया जाता है। वर्ष 2004 में गठित एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेजीई) भूटान के दक्षिणी तलहटी और भारत के समीपवर्ती मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करता है। बाढ़ प्रबंधन पर जेजीई को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी दल (जेटीटी) भी है। पश्चिम बंगाल और असम राज्य सरकारों के प्रतिनिधि जेजीई और जेटीटी के सदस्य हैं।

द्विपक्षीय सहयोग की इस मौजूदा व्यवस्था ने भूटान की सीमावर्ती नदियों के प्रतिप्रवाह में डोलोमाइट खनन के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में गिरावट, विभिन्न सीमावर्ती नदियों में औद्योगिक बहिःस्राव के रिसाव आदि से संबंधित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया है।

चीन:

वर्ष 2006 में भारत और चीन के बीच सीमावर्ती नदियों से संबंधित बाढ़ मौसम जलवैज्ञानिक आंकड़ों के प्रावधान, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य मामलों पर बातचीत और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र (ईएलएम) की स्थापना की गई। ईएलएम की बैठकें प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से भारत और चीन में आयोजित की जाती हैं।

वर्ष 2002 में, भारत सरकार ने चीन के साथ पांच वर्ष के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत चीन द्वारा यालुजांगबू/ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित तीन केंद्रों से बाढ़ मौसम के दौरान जलवैज्ञानिक सूचना (जल स्तर, प्रवाह और वर्षा) भारत को भेजी जाएगी। इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण वर्ष 2008, 2013 और 2018 में किया गया। अप्रैल 2005 में, एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए जिसमें चीन द्वारा सतलुज नदी से बाढ़ मौसम के दौरान जलवैज्ञानिक सूचना (जल स्तर, प्रवाह और वर्षा) भारत को भेजने का प्रावधान था। इस समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण वर्ष 2010 और वर्ष 2015 में किया गया था।

इसके अलावा, वर्ष 2013 में दोनों देशों ने 'सीमावर्ती नदियों पर सहयोग को मजबूत करने' पर एक अलग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

नेपाल:

भारत-नेपाल के बीच जल संसाधनों पर द्विपक्षीय सहयोग के लिए तीन टीयर द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं जिनमें (i) जल संसाधन पर संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसीडब्ल्यूआर), (ii) जल संसाधन पर संयुक्त समिति (जेसीडब्ल्यूआर) और (iii) संयुक्त स्थायी तकनीकी समिति

(जेएसटीसी) शामिल हैं। जलप्लावन और बाढ़ प्रबंधन संबंधी मामलों में जेएसटीसी के निर्णयों को जलप्लावन और बाढ़ प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) लागू करती है।

नेपाल के जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़े नेपाल सरकार के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त किए जाते हैं और इनका उपयोग भारत के सीमावर्ती राज्यों में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए किया जाता है।

इसके अलावा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) बाढ़ पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और व्यापक जल-मौसम विज्ञान संबंधी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पड़ोसी देशों और दक्षिण एशिया जल मौसम विज्ञान मंच (एसएचएफ), सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) और बिम्सटेक (बंगाल की खाड़ी की बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल) जैसे क्षेत्रीय निकायों के साथ संस्थागत सहयोग और आकड़ों की साझाकरण व्यवस्था में शामिल है। यह सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय कार्य ढांचों तथा विशिष्ट तकनीकी समझौतों के माध्यम से किया जाता है।

एकत्रित आकड़ों को वैश्विक जलवायु मॉडल और अन्य पर्यावरणीय उपकरणों के अनुकूल मानकीकृत प्रारूपों में संग्रहीत, प्रबंधित और उपलब्ध कराया जाता है।
